

रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी, राजस्थान (RERA)
नगर नियोजन भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर

क्रमांक एफ.4(1)आरजे/रेरा/2017/ 218

जयपुर, दिनांक : 13-10-17

श्री रजत सिंगल,
निदेशक, क्रिस्टल बिल्डटेक प्रा.लि.,
203, कैवस्टन हाउस 2 ई,
एक्सटेन्शन झण्डेवाला,न,
नई दिल्ली।

विषय :- KRISH SEASONS प्रोजेक्ट ग्राम बरहेडा तहसील तिजारा खसरा नं.
359, 360, 361, 451 कुल किता 04 कुल रकबा 73320.13 वर्गमीटर
भूमि पर ऑनगोईंग प्रोजेक्ट के रूप में पंजीयन बाबत।

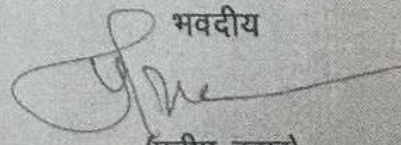
संदर्भ :- आपका पत्र दिनांक 20.09.2017 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि राजस्थान रियल एस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट) नियम, 2017 के नियम 4 में दिये गये स्पष्टीकरण (VI) के अनुसार जहाँ सक्षम प्राधिकारी/स्थानीय निकाय द्वारा टाउनशिप स्कीम के अंतर्गत पट्टे जारी किये जा रहे हैं, उनको Ongoing प्रोजेक्ट्स के रूप में पंजीयन की आवश्यकता से छूट प्रदान की गयी है।

चूंकि नगर सुधार न्यास, भिवाड़ी द्वारा कैम्प आयोजित कर भूखण्ड में जीएच 1-5 की लीज डीड्स (पट्टे) जारी किये हैं। अतः उक्त प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में एवं संलग्न दस्तावेज की प्रतियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि CRYSTAL BUILDTECH PVT LTD. के KRISH SEASONS प्रोजेक्ट के Ongoing प्रोजेक्ट के रूप में पंजीयन की आवश्यकता प्रतीत नहीं है।

भवदीय


(अनील कुमार)
रजिस्ट्रार
RERA, RAJ.